कार्यालय जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी, अमेठी

संख्या 205/व्यवस्थापन/ई–लाटरी/चतुर्थ चरण/2020–21/अमेठी/दिनांक जुलाई–11–,2020

विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद अमेठी की देशी शराब की फुटकर बिक्री की 07 नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन upexciseelottery.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन प्राप्त कर ई–लाटरी के माध्यम से किया जाना है। कार्यक्रम का विवरण निम्नानुसार है:–

क्रमांक	चतुर्थ चरण की ऑनलाइन लाटरी	तिथि व समय
1	ई–लाटरी हेतु आवेदन प्रारम्भ	13.07.2020 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से।
2	ई–लाटरी हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	20.07.2020 को सायं 05:00 बजे तक।
3	चतुर्थ चरण की ई–लाटरी की तिथि/समय एवं स्थल	24.07.2020 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से 01:00 बजे तक कलेक्ट्रेट सभागार गौरीगंज में।
4	प्रोसेसिंग फीस एवं धरोहर राशि का बैंक ड्रफ्ट जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में मूल रूप से जमा करने की अन्तिम तिथि	20.07.2020 को सायं 06:00 बजे तक।

दुकानों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:–

क्र0सं0	दुकान का नाम	प्रकार	थाना/तहसील	दुकान एम0जी0क्यू0 (ब0ली0 में)	बेसिक लाइसेंस फीस (रूपये में)	प्रतिभूति राशि (रूपये में)	न्यूनतम साल्वेंसी (रूपये में)	धरोहर राशि (रूपये में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सोभावतपुर चौराहा	देशी शराब	गौरीगंज/गौरीगंज	19008	627264	62727	811008	429581
2	सराय खेमा	देशी शराब	मुन्शीगंज/अमेठी	7284	240372	24038	310784	164619
3	सत्थिन चौराहा	देशी शराब	बाजार शुकुल/मुसाफिरखाना	7884	260172	26018	336384	178179
4	ऊसरी रस्तामऊ	देशी शराब	मोहनगंज/तिलोई	8004	264132	26414	341504	180891
5	बेहटा मुर्तजा	देशी शराब	जायस/तिलाई	7800	257400	25740	332800	176280
6	मोहना	देशी शराब	जायस/तिलाई	9804	323532	32354	418304	221571
7	गढ़ेहरी	देशी शराब	मोहनगंज/तिलाई	8400	277200	27720	358400	189840

प्रत्येक आवेदन हेतु रूपये–20000/– की प्रोसेसिंग फीस ऑनलाइन जमा करना होगा। धरोहर धनराशि का भुगतान हेतु बैंक ड्राफ्ट जिला आबकारी अधिकारी, अमेठी के पदनाम से बनवाकर अपलोड करना है एवं दिनांक 20.07.2020 को सायं 06:00 बजे तक बैंक ड्राफ्ट मूल रूप में जिला आबकारी अधिकारी, अमेठी के कार्यालय में जमा करना होगा, जिसके ड्राफ्ट जमा नहीं होगें उन्हे ई–लाटरी में शामिल नहीं किया जायेगा। विस्तृत विवरण कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जनपद अमेठी एवं क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों से प्राप्त किया जा सकता है।

11/7/2020

(आर0के0वर्मा)
जिला आबकारी अधिकारी,
अमेठी।

(अरूण कुमार)
जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी,
अमेठी।